

भारत सरकार वित्त मंत्रालय केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो 19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर - 474006	 सत्यमेव जयते	Government of India Ministry of Finance Central Bureau of Narcotics 19, The Mall, Morar, Gwalior (M.P.) - 6
(PBX) : (91) 751-2368996E-MAIL: narcom@bsnl.in		
F.No. II(3)/Estt/Insp. to Supdt/2023 - 264		Dated: 31st January, 2024

Estt. Order No. 04/2024

As per the findings of the DPC for the year 2024 for promotion in the grade of Superintendent/DOO from the post of Inspector held in the office of Narcotics Commissioner on 15.01.2024, the following Inspector is hereby promoted to the post of Superintendent/DOO (Group 'B' Gazetted), **on ad-hoc basis**, in Level-8 of pay matrix Rs. 47,600 to 1, 51,100/- with effect from 01.02.2024 or the date they assume charge of the higher post, whichever is later.

S. No.	Name of the officer
1-	Shri Ashish Bhatnagar

1. The officer should note that:

(a) If he does not accept the offer of ad-hoc promotion within 10 days of issue of order and fail to report for duty at his respective place, it will be considered as refusal of promotion and he shall be debarred for ad-hoc promotion to the grade of Superintendent/DOO, for a period of one year.

(b) The officer is promoted **on ad-hoc basis** against the sealed cover vacancy. He will not claim any seniority and will be liable for reversion in case of opening of the sealed cover. Further, the officer will be considered for regular promotion as & when vacancy will arise.

(c) He is required to submit within one month of ad-hoc promotion, his option of fixation of pay on promotion as per DoP&T's O.M.No.13/02/2017-Estt.(Pay-I) dated 27th July 2017. However, where the officials have been granted benefit of financial upgradation under the ACP/MACP Scheme, their pay would be fixed in accordance with the provision contained in Para 9 of Annexure to DoPT's O.M. No.35034/1/97-Estt.(D) dated 9.8.1999 and for MACP, provisions contained in DoPT's O.M.No.35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.5.2009 respectively.

2. The ad-hoc promotion, in the higher grade, in respect of the officer shall take effect from the date he takes over the charge of higher post.

3. His regular posting will be decided in due course. Till then he shall assume the charge of the promotional post on in situ (as is where is) basis.

4. The above officer may join the new assignment immediately. A compliance report on the same should be sent to the undersigned immediately.

This issues with the approval of Narcotics Commissioner.


31/11/24


(Manoj Kumar)

Assistant Narcotics Commissioner

Shri.....
.....
.....

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The CCF, Govt. Opium and Alkaloid Factories, New Delhi.
2. The Dy. Narcotics Commissioner, CBN, Neemuch/Kota/Lucknow.
3. The General Manager, GOAW, Neemuch/Ghazipur
4. PS to the Narcotics Commissioner, CBN, Gwalior.
5. PS to the DNC & PA to ANC, CBN, Gwalior
6. The Pay and Account Office, CBN, Gwalior
7. Superintendent, Opium/ Vig/ Prev/ Tech/ Prec./Narcotics/
Adm./Accounts & Pay Bill/ Estt./ Online/ Hindi, Hqrs. Gwalior.
8. Guard File/Website.


31/11/24

(Manoj Kumar)

Assistant Narcotics Commissioner



एफ.नं. 11(3)/स्था/निरीक्षक. अधीक्षक/2023-264 दिनांक:

31 जनवरी, 2024

स्था. आदेश संख्या 04/2024

15.01.2024 को नारकोटिक्स आयुक्त कार्यालय में निरीक्षक के पद से अधीक्षक/डीओओ के ग्रेड में पदोन्नति हेतु वर्ष 2024 के लिए डीपीसी के निष्कर्षों के अनुसार, निम्नलिखित निरीक्षक को 01.02.2024 या उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से वेतन मैट्रिक्स रु. 47,600 से 1,51,100/- के स्तर-8 में तदर्थ आधार पर अधीक्षक/डीओओ (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम
1	श्री आशीष भटनागर

1. अधिकारी को ध्यान देना चाहिए कि:

(क) यदि वह आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर तदर्थ पदोन्नति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है और अपने संबंधित स्थान पर ड्यूटी पर रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो इसे पदोन्नति से इनकार माना जाएगा और उसे अधीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा।

(ख) अधिकारी को सीलबंद लिफाफे में रिक्त पद के विरुद्ध तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है। वह किसी वरिष्ठता का दावा नहीं करेगा और सीलबंद लिफाफा खोलने की स्थिति में उसे पद से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, जब भी रिक्ति होगी, अधिकारी को नियमित पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा।

(ग) उसे तदर्थ पदोन्नति के एक महीने के भीतर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/02/2017- स्थापना के अनुसार पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। (वेतन-1) दिनांक 27 जुलाई 2017 के अनुसार निर्धारित किया गया है। हालाँकि, जहाँ अधिकारियों को एसीपी/एमएसीपी योजना के

अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है, उनका वेतन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9.8.1999 के कार्यालय जापन संख्या 35034/1/97-स्था.(डी) के अनुलग्नक के पैरा 9 में निहित प्रावधान के अनुसार और एमएसीपी के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.5.2009 के कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2008-स्था.(डी) में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

2. अधिकारी के संबंध में उच्चतर ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति, उसके उच्चतर पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. उसकी नियमित पोस्टिंग का निर्णय यथासमय किया जाएगा। तब तक वह यथास्थान (जहाँ है जैसा है) आधार पर पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण करेगा।

4. उपरोक्त अधिकारी तत्काल नया कार्यभार ग्रहण कर सकता है। इस पर अनुपालन रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को तत्काल भेजी जाए।

यह नारकोटिक्स आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।




(मनोज कुमार)

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. मुख्य नियंत्रक, शासकीय अफीम एवं अल्कलॉइड कारखाना, नई दिल्ली।
2. उप नारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, नीमच/कोटा/लखनऊ।
3. महाप्रबंधक, जीओएडब्ल्यू, नीमच/गाजीपुर।
4. नारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, ग्वालियर के निजी सचिव।
5. डीएनसी के निजी सचिव एवं एएनसी, सीबीएन, ग्वालियर के निजी सचिव।
6. वेतन एवं लेखा कार्यालय, सीबीएन, ग्वालियर।
7. अधीक्षक, अफीम/सतर्कता/पूर्व/तकनीकी/पूर्व/नारकोटिक्स/प्रशासन/लेखा एवं वेतन बिल/स्थापना/ऑनलाइन/हिंदी, मुख्यालय ग्वालियर।
8. गार्ड फाइल/वेबसाइट।



(मनोज कुमार)

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त